प्रपत्र (ओ)

ता. 26.10.60

संख्या एफ 6 (325) रा० वन०/60 विज्ञप्ति

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान अधिनियम, १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
s/d
शासन सचिव
राजस्व सचिव
राजस्थान, जयपुर

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खण्ड	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
अजमेर	किशनगढ़	टोंकड़ा	टोंकड़ा	६२४ २९/५० एकड़	सीमा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है
			सांवतसर	६३१ १६/२५ "	
			भोजपावास	१०१ ८/२५	
			फलोदा	११० १०/२५	
			योग	१४६६ ४१/५० एकड़	

राजस्थान राजपत्र भाग १(ख)
दिनां. 30.3.61 में प्रकाशित हुआ।

s/d
A.F.S.O.
Jaipur

Compared with Original

TRUE COPY
सहायक वन संरक्षक अधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक